

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(5)2024 / गोप्र / प्रमुवसं-08678

## -: कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 02.09.2024 की अनुशंषा के आधार पर निम्न लोकसेवकों को वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-10 (ग्रेड पे-3600) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	भैरू लाल गोस्वामी	भंवर लाल गोस्वामी	—	01.04.2024
2.	कमलेश कुमार सैनी	नन्द किशोर सैनी	—	01.04.2024
3.	गणेश सिंह	धन सिंह	—	01.04.2024
4.	सोनिया जोशी	बृजभूषण शर्मा	—	01.04.2024
5.	मोईन खां	मेहमूद खां	—	01.04.2024
6.	राकेश कुमार	रामनाथ	—	01.04.2024
7.	नेहा थोलम्बिया	देवेन्द्र कुमार थोलम्बिया	—	01.04.2024
8.	शैतान सिंह राजपूत	भैरू सिंह	—	01.04.2024
9.	मोहम्मद अजहर	मोहम्मद अनीस	—	01.04.2024
10.	धीरेन्द्र प्रताप राठौड़	बलवीर सिंह	—	01.04.2024
11.	मुकेश कुमार गोठवाल	बनवारी लाल	एस.सी.	01.04.2024
12.	महिम जैन	अशोक कुमार जैन	—	01.04.2024
13.	महेन्द्र कुमार मीणा	देवी सहाय मीणा	एस.टी.	01.04.2024
14.	गिरधारी लाल मीना	लोहडे राम मीना	एस.टी.	01.04.2024
15.	संदीप कुमार	दुर्गा प्रसाद	—	01.04.2024
16.	हंसराज मौर्य	गोवर्धन लाल मौर्य	एस.सी.	01.04.2024
17.	धर्मेन्द्र कुमार मीना	छोटे लाल मीना	एस.टी.	01.04.2024
18.	हरिसिंह मीणा	श्योराम मीणा	एस.टी.	01.04.2024
19.	मणिप्रकाश मीना	चौथीलाल मीना	एस.टी.	01.04.2024
20.	ओम प्रकाश भडाना	रामकिशन भडाना	—	01.04.2024
21.	महेश कुमार	हीरा लाल प्रजापत	—	01.04.2024
22.	शैलेन्द्र बैरवा	राजेन्द्र बैरवा	एस.सी.	01.04.2024
23.	नरसी लाल सैनी	खिलाडी माली	—	01.04.2024
24.	दिलीप कुमार	गोपाल सिंह	—	01.04.2024
25.	जितेन्द्र शर्मा	सतीश चन्द शर्मा	—	01.04.2024
26.	पृथ्वी सिंह	जोरावर सिंह	—	01.04.2024
27.	खेत सिंह	गुमान सिंह	—	01.04.2024

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिवित तिथि
28.	सुभाष कुमार मेघवाल	गोगाराम	एस.सी.	01.04.2024
29.	करण सिंह यादव	लाखन सिंह यादव	—	01.04.2024
30.	जोरावर सिंह	दशरथ सिंह	—	01.04.2024
31.	पारसमल	पकाराम	एस.सी.	01.04.2024
32.	रवि गौतम	देवकी नन्दन	—	01.04.2024
33.	विजय कुमार लोधा	मांगीलाल	—	01.04.2024
34.	पुनीत फडनीस	प्रवीण फडनीस	—	01.04.2024
35.	दीप्ती वर्मा	सोनू कुमार	एस.सी.	01.04.2024
36.	राम सागर गुर्जर	किशन लाल	—	01.04.2024
37.	जितेन्द्र सिंह गुर्जर	राम सिंह गुर्जर	—	01.04.2024
38.	विनोद कुमार	सुभाष चन्द	—	01.04.2024
39.	रघुवीर गुर्जर	मदन लाल गुर्जर	—	01.04.2024
40.	दीनसिंह तंवर	केसर सिंह तंवर	—	01.04.2024
41.	सिद्धार्थ जैन	अशोक कुमार जैन	—	01.04.2024
42.	सोनू कुमार	मेघश्याम	एस.सी.	01.04.2024

उक्त पदोन्नति आदेश निम्न शर्तों/प्रावधानों के अध्याधीन रहेगें :-

- चयनित कार्मिकों में से सेवानिवृत्त, स्वेच्छिक सेवानिवृत्त, मृतक के अतिरिक्त पदोन्नत लोकसेवक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही यथावत कार्यरत रहते हुए पदोन्नत पद की कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 12.09.2024 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। चयनित लोकसेवक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा। इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और **उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।**  
अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
- उक्त पदोन्नति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12387/2024 भैरू सिंह कुम्पावत वगैराह बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(अरिजीत बनर्जी)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(5)2024 / गोप्र / प्रमुखसं-08678

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर / (वन्यजीव) जोधपुर / (वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) / सरिस्का अलवर / मुकन्दरा (कोटा)।
9. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
10. उप वन संरक्षक / वन बन्दोबस्त अधिकारी / कार्य आयोजना अधिकारी / भू-संरक्षण अधिकारी।
11. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
12. संबंधित लोकसेवक.....।
13. रक्षित पत्रावली / कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)  
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर

Document certified by ARIJIT  
BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT  
BANERJEE  
Designation : Principal Chief  
Conservator Of Forest  
Date :02-09-2024 05:46:28